

## ग्रामीण सेवा शिविर-2025


पत्र-६

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द  
(पीठारीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प .....

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी जोगाथला .....  
 व भू.अ.नि. कुं.ज. ..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेवमण्ड ...../नायब  
 तहसीलदार ..... की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम  
 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम जोगाथला ..... तहसील रेवमण्ड ..... व  
 जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् २०२३ ..... में खाता संख्या २०० ..... में  
 वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल  
 दरामद के आदेश दिये जाते हैं :- काश्तकर -> जगेशी छत्री मेरा कुहावा हिस्सा 1/20


क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	जोगाथला	२००	SBBJ शाखा कुं.ज.रिया	SBI शाखा कुं.ज.रिया

  
 सहायक अधिकारी  
 (उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, .....  
 राजसमन्द)

क्रमांक:- 1/सपस/2025/100  
 प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 3/10/25

1. तहसीलदार रेवमण्ड ..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

  
 पीठारीन अधिकारी  
 सहायक कलक्टर  
 (उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, .....  
 राजसमन्द)